भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 573
गुरूवार, 23 जुलाई, 2026/ 1 श्रावण, 1948 (शक)

गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म कर्मी

573 श्रीमती सागरिका घोष:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म कर्मियों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्रदान करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है; और
(ग) इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित उपबंधों का प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में किया गया है जो दिनांक 21.11.2025 को लागू हुई है।

यह संहिता जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधाओं, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने का प्रावधान करती है। यह संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का प्रावधान करती है। इस संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के उद्देश्यों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करने का भी प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 08.05.2026 को अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नियम, केंद्र सरकार के पोर्टल पर गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर, एग्रीगेटर्स के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कामगार से संबंधित डेटा साझा करना आवश्यक बनाकर, सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करके और ऐसे कामगारों के लिए कल्याणकारी उपायों के संबंध में एग्रीगेटर्स की जवाबदेही को मजबूत करके इस संहिता के प्रावधानों को क्रियान्वित करते हैं।

जारी/2---

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उन्हें पंजीकृत करना और सहायता प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम- 'वन-स्टॉप-सोल्यूशन' का शुभारंभ भी किया है, जिसके अंतर्गत एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पोर्टल पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एकीकृत किया गया है। इसकी परिकल्पना ई-श्रम पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए की गई है।

ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों को स्वयं को पंजीकृत करने या पहले से पंजीकृत होने की स्थिति में अपने व्यवसाय को अद्यतित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 12.03.2025 को एक सरलीकृत पंजीकरण मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया है।

ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अधिकतम करने के लिए, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से वर्ष 2025 के अप्रैल, मई और अगस्त-सितंबर महीनों के दौरान तीन देशव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान चलाए गए थे। दिनांक 19.07.2026 की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर 10.83 लाख से अधिक प्लेटफॉर्म कामगार पंजीकृत हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संहिता के अधीन अनिवार्य रूप से प्लेटफॉर्म कामगार के लिए एक व्यापक कल्याणकारी योजना की दिशा में आगे बढ़ने हेतु गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के सामाजिक सुरक्षा ढांचे के लिए एग्रीगेटर्स, नॉलेज पार्टनर्स, प्लेटफॉर्म कामगार एसोसिएशनों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और अन्य संगठनों के साथ कई दौर की चर्चाएं की हैं।
